

खाद्य सुरक्षा प्रकरण संख्या : 27/2025
 प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 26 की उपधारा 2(2) एफ.एस.एस.ए. एक्ट 2006 विनियम 2011
 उनवान खाद्य सुरक्षा अधिकारी बनाम रतनसिंह

न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला
 मजिस्ट्रेट, बाली जिला पाली राज.
 पीठासीन अधिकारी : शैलेन्द्र सिंह आर.ए.एस.

खाद्य सुरक्षा प्रकरण संख्या : 27/2025

जी.सी.एम.एस. नम्बर : 2025/165

सायल :-

जरिये सरकार दिलीपसिंह
 खाद्य सुरक्षा अधिकारी बनाम
 कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं
 स्वास्थ्य अधिकारी पाली

गैर सायल :-

रतनसिंह पुत्र श्री नाहरसिंह राजपुत मकान
 मालिक अरमान पुत्र युनूस खान, वीर
 दुर्गादास कॉलोनी सुमेरपुर, पाली मो.न.
 9680918320

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 26 की उपधारा 2(2) एफ.एस.एस.एस.ए. एक्ट, 2006 नियम 2011



उपस्थिति: अप्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री गणपतसिंह राजपुरोहित।

—:निर्णय:—

दिनांक: 30.01.2026

सायल द्वारा यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत जुर्म दफा 26 की उपधारा (2)(v) खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 विनियम 2011 के अन्तर्गत विरुद्ध गैरसायल दिनांक 19.09.2025 को प्रस्तुत किया गया है। प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर पक्षकारान्/वकुलाय को सूचित किया गया।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अनुसार दिनांक 17.02.2025 को वक्त निरीक्षण सायल दिलीपसिंह यादव खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने विक्रेता रतनसिंह पुत्र श्री नाहरसिंह व गवाहान की उपस्थिति में मकान का निरीक्षण करने पर पाया की Ghee (ब्राण्ड सरस) के 500-500 एम.एल के पैक पैकेट रखे हैं, विक्रेता ने बताया की यह आम जन को बिक्री वास्ते होना बताया। जिसमें मिलावट का सन्देह होने पर रुबरु प्रपत्र 5ए भरकर दिया एव प्रपत्र 5ए की दूसरी प्रति पर रसीद प्राप्त की जिस पर सायल व विक्रेता गवाहान के हस्ताक्षर हैं। प्रपत्र 5ए देने से पहले विक्रेता को यह बता दिया गया था कि उक्त नमूना वास्ते एफएसएसए एक्ट के अन्तर्गत जांच हेतु लिया जा रहा है।

यह है कि सायल दिलीप सिंह यादव खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने विक्रेता व गवाहान की उपस्थिति में रखे हुए Ghee (ब्राण्ड सरस) 500 एम.एल. के 04 पैक पैकेट विक्रेता एवं गवाहान की उपस्थिति में खरीद किये गये को वास्ते जांच हेतु क्रय कर जिसकी कीमत विक्रेता को 600/- नगद देकर रसीद प्राप्त की जिस पर खाद्य सुरक्षा अधिकारी व विक्रेता व उपस्थित गवाह के हस्ताक्षर हैं रसीद माल खरीद असल प्रति न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ सलंगन है।

यह है कि दिलीप सिंह यादव खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने विक्रेता एवं गवाहान की उपस्थिति में खरीद किये गये Ghee (ब्राण्ड सरस) के चार भाग करके प्रत्येक चारों पर मौके पर तैयार किये गये लेबल, जिस पर डीओ एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, पाली का कोड क्रमांक आर-2798 लिखा व नमूने का विवरण अंकित किया गया। प्रत्येक लेबल पर विक्रेता व गवाहान के हस्ताक्षर करवाये तथा स्वयं सायल ने किये। उक्त तैयार लेबल मे से एक एक लेबल प्रत्येक नमूना पैकेट पर चिपकाया। प्रत्येक नमूना पैकेट को अलग-अलग खाकी कागज में लपेट कर सिरों को सफाई से मोडकर गोंद से चिपकाया व प्रत्येक नमूना पैकेट पर डीओ एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, पाली की हस्ताक्षरयुक्त पेपरस्लीप, कोड क्रमांक आर-2798 गोंद से नियमानुसार चारों नमूना पैकेट के मूंह से पैँदे की ओर चिपकाई तथा प्रत्येक नमूना पैकेट को नियमानुसार धागे से बांध कर चपड़ी से सीलमूहर किया, एक सील नमूना पैकेट के मूंह पर एक सील पैँदे पर दो नमूना की बॉडी पर जहां पर धागे की गाँठ लगाई पर चपड़ी लगाकर सीलबंद व सीलमूहर किया। विक्रेता व गवाहान ने नियमानुसार पेपर स्लीप व खाकी कागज को क्रॉस करते हुए हस्ताक्षर किये एवं खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने भी हस्ताक्षर किये। नियमानुसार नमूना लेकर चारों सीलबंद नमूना को अपने जाब्तों में लिया।

यह है कि दिलीपसिंह यादव खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौके पर मौका फर्द रिपोर्ट तैयार कर विक्रेता एवं गवाहान को पढ़कर, सुनाकर, हस्ताक्षर करने को कहा जिन्होंने स्वयं ने भी पढ़कर, सुनकर एवं समझकर एवं सही मानकर हस्ताक्षर किये स्वयं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने भी हस्ताक्षर

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
 बाली, जिला-पाली

P.T.O.



खाद्य सुरक्षा प्रकरण संख्या : 27 / 2025
 प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 26 की उपधारा 2(2) एफ.एस.एस.ए. एक्ट 2006 विनियम 2011
 उनवान खाद्य सुरक्षा अधिकारी बनाम रतनसिंह

किये। उपरोक्त सभी कार्यवाही मैने गवाह व विक्रेता के सामने मौके पर ही की। मौका फर्द रिपोर्ट असल प्रति न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ सलंगन है। मौका फर्द पर नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील मोहर की थी। जो कि न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ सलंगन है। मौके पर विक्रेता ने खरीद बिल नहीं होना बताया।

यह है कि दिलीपसिंह यादव खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय पहुंचकर फॉर्म न. 06 की प्रतियां तैयार की तथा प्रत्येक पर नमूना सील मोहर लगाई जिससे नमूना सील मोहर की थी। एक नमूना मय फॉर्म न. 6 की एक प्रति आउटर कवर में चपड़ी से सील बन्द एवं सील मोहर कर, दो फॉर्म न. 6 की प्रति अलग से एक लिफाफा मे बन्द कर, चपड़ी से सील मोहर कर दो सीलबन्द नमूना तथा शेष नमूने का चौथा भाग मय फॉर्म न. 6 की प्रतियां आउटर कवर में चपड़ी से सीलबन्द कर, सील मोहर कर डीओ एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी पाली को जमा कराकर रसीद प्राप्त की एवं मुख्य खाद्य विश्लेषक जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला जयपुर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की।

यह है कि दिलीपसिंह यादव खाद्य सुरक्षा अधिकारी को डीओ एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी पाली के पत्रांक एफएसएसए/2025/2622 दिनांक 28.03.2025 एवं जांच रिपोर्ट एल.एस./596/एक्ट/2025/593 दिनांक 05.03.2025 के द्वारा लिया गया Ghee (ब्राण्ड सरस) नमूना क्रमांक आर-2798 का नमूना unsafe पाया गया है। अग्रेषण पत्र मय जांच रिपोर्ट असल प्रति न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ सलंगन है, जिसकी सूचना विक्रेता को भी दी गई है।

यह है कि नमूने की पुनः जांच हेतु अपील की गई है, जिस पर नमूना पुनः जांच हेतु रेफरल खाद्य प्रयोगशाला भिजवाया गया है। जो कि Sub Standard as defined under section 3(1)(zx) Of Food Safety and Standards Act 2006 पाया गया है। अग्रेषण पत्र मय जांच रिपोर्ट असल प्रति न्याय निर्णयन आवेदन के साथ सलंगन है।

अतः रतनसिंह पुत्र श्री नाहरसिंह राजपुत मकान मालिक अरमान पुत्र युनुस खान, वीर दुर्गादास कॉलोनी सुमेरपुर, पाली ने Ghee (ब्राण्ड सरस) Sub standard as defined under section 3(1)(zx) of Food Safety and Standards Act 2006 का विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 व नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लंघन किया है। जिसके लिये खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के तहत धारा 51 जुर्माने योग्य अपराध है।

सायल द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर गैर सायल को जरिये नोटीस सूचित किया गया। अप्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री गणपतसिंह राजपुरोहित ने वकालतनामा प्रस्तुत किया। अधिवक्तागण अप्रार्थीपक्ष ने वक्त बहस निवेदन किया कि उनके द्वारा प्रश्नगत खाद्य सामग्री पैकेड रिश्मि में पाली जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ से क्रय किया था, जो राजस्थान सरकार का विभागीय उपक्रम है। अप्रार्थी द्वारा इसमें कोई मिलावट नहीं की गई है, अतः अप्रार्थी के विरुद्ध प्रस्तावित कार्यवाही ड्रॉप फरमावें।

प्रार्थीपक्ष की ओर से बहस के दौरान कोई उपस्थित नहीं होने से उनके द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र एवं सलंगन दस्तावेजों का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया।

पत्रावली एवं उपलब्ध दस्तावेजों से जाहिर होता है कि दिनांक 17.02.2025 को प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा रतनसिंह पुत्र श्री नाहरसिंह राजपुत मकान मालिक अरमान पुत्र युनुस खान, वीर दुर्गादास कॉलोनी सुमेरपुर, पाली में जैर कार्यवाही खाद्य सामग्री 'Ghee' (ब्राण्ड सरस) नमूना क्रमांक आर-2798 खाद्य विश्लेषक प्रयोगशाला, जोधपुर की जांच रिपोर्ट दिनांक 05.03.2025 में 'unsafe' होना पाया गया। अप्रार्थी द्वारा खाद्य प्रयोगशाला जोधपुर की उक्त रिपोर्ट से संतुष्ट नहीं होने से उक्त नमूना आर-2798 की दुबारा जांच हेतु आवेदन प्रस्तुत किया जिस पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी पाली के पत्र क्रमांक व सलंगन रेफरल फूड लैब मैसूर की जांच रिपोर्ट संख्या 539F/FSSA/2025 दिनांक 04.07.2025 द्वारा उक्त घी Sub Standard as per section 3 (1) (zx) of food safety and standard act 2006 होना पाया गया है।

इस प्रकार, अप्रार्थी द्वारा 'Sub Standard' (अवमानक) खाद्य सामग्री 'Ghee' नमूना क्रमांक आर-2798 का /विक्रय/भण्डारण करना साबित होता है, जो कि खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) के प्रावधानों का स्पष्ट उल्लंघन है।

अतः अप्रार्थीगण द्वारा खाद्य मानक अधि. 2006 की धारा 26 (2) (ii) के उल्लंघन का दोषी पाए जाने पर उक्त अधिनियम विहित मापदण्डों के अनुक्रम में अधिनियम की धारा 51 में विहित प्रावधानान्तर्गत 'अवमानक' श्रेणी की खाद्य सामग्री 'Ghee' नमूना क्रमांक आर-2798 जो उक्त अधिनियम 2006 की धारा 3(1)(zx) में यथापरिभाषित है,के विक्रय एवं भण्डारण के कारण कुल 5,000/- रुपये मात्र अक्षरे



अतिरिक्त जिला कलेक्टर
 बाली, जिला-पाली

P.T.O.

खाद्य सुरक्षा प्रकरण संख्या : 27 / 2025
 प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 26 की उपधारा 2(2) एफ.एस.एस.ए. एक्ट 2006 विनियम 2011
 उनवान खाद्य सुरक्षा अधिकारी बनाम रतनसिंह

पांच हजार रुपये की शास्ति अधिरोपित की जाती है। साथ ही, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, पाली को निर्देश दिए जाते हैं कि वे उक्त राशि अप्रार्थी से वसूल कर राज्य सरकार द्वारा निर्धारित मद "0210-चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य, 04-लोक स्वास्थ्य, 800 अन्य प्राप्तियां, (03) खाद्य सुरक्षा कानून के अन्तर्गत अनुज्ञा पत्र शुल्क आदि" में जमा करवाकर चालान की प्रति इस न्यायालय में प्रस्तुत करें।

निर्णय आज दिनांक 30.01.2026 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रवाली फैसल शुमार होकर दाखिल दफतर हो।



(शैलेन्द्र सिंह)

अतिरिक्त जिला कलेक्टर

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
 बाली, जिला-पाली
 अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, बाली

दिनांक :

क्रमांक / कोर्ट / खा.सु.प्र.स.27 / 2025 / 2026 /

प्रतिलिपि :- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैं:-

1. खाद्य सुरक्षा आयुक्त एवं निदेशक (जनस्वास्थ्य), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, राजस्थान जयपुर।
2. अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, पाली
3. खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, पाली,

(शैलेन्द्र सिंह)

अतिरिक्त जिला कलेक्टर

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
 बाली, जिला-पाली
 अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, बाली